(23)

XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. 1457-II-1/15 जिला– सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-7-15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया । अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता हैं । दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के.सिंह) सदस्य	

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क (रेस्टोरेशन) /2015 सतना

रेस्टो० 1457-II-15

1. ईश्वरी प्रसाद पाण्डेय पुत्र गणेश प्रसाद
2. तेजराज पाण्डेय पुत्र श्री गणेश प्रसाद
3. सुनील कुमार पाण्डे पुत्र श्री हीरामणि पाण्डेय

समस्त निवासीगण शाहपुर ताली तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. ।

श्री सुनील सिंह पाण्डेय द्वारा आज दि. 10/6/15 को प्रस्तुत
10-6-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.........निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

बालेश्वर प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री सुन्दरलाल पाण्डेय निवासी शाहपुर ताली तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. ।

............अनावेदकगण

आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण रेस्टोरेशन वावत अंतर्गत धारा 5, एवं सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

सुनील सिंह पाण्डेय 10/6/15

श्रीमान जी,

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसील मझंगवा जिला सतना के प्रकरण क 13/ए–6/17–08 मे पारित आदेश दिनांक 02.05.2013 से दुखित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी 2182/दो /2013 प्रस्तुत की गई जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.2015 नियत थी ।
2. यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा मात्र अभिभाषक की अनुपस्थिति मे अदम पैरमी मे आदेश दिनांक 27.3.2015 से निरस्त /खारिज कर दिया गया है।
3. यहकि, प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का होने से 2013 का प्रकरण था जिसमे आवेदकगण की तरफ से नियुक्त अभिभाषक प्रत्येक पेशी पर नियत समय पर उपस्थिति होता रहा है किन्तु प्रथम बार उपस्थिति न होने से मात्र तकनीकि विन्दु पर प्रकरण को अदम पेरवी मे खारिज करने मे माननीय न्यायालय द्वारा अवैधानिक वडी भूल की गई है। प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भी आया गया था अदम पैरवी मे प्रकरण को खारित करने से आवेदकगण को काफी मानसिक व आर्थिक हानि हुई है। एवं न्याय से वचित हुआ है।